निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुद्दोवाला निकट नंदा की चौकी, चकराता रोड, देहरादून ।
दूरभाष नं० 0135-2775813, 14 , ई०मेल: dir.icds.ua@g mail.com

संख्या C-480 /आ०बा०से सुप०भर्ती- /2020-21 दिनांक 10 जुलाई ,2020

विज्ञप्ति

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 291/43-बा.वि./2002, दिनांक 07 नवम्बर 2002, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार(अधीनस्थ) सेवा नियमावली,1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 एवं अधिसचूना संख्या 930/XVII(2)/06, दिनांक 11-10-2006 के द्वारा प्रख्यापित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार(अधीनस्थ) सेवा नियमावली,1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में (संशोधन) नियमावली,2006 तथा शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2019-30(01)/2019, दिनांक 29 अप्रैल 2019 द्वारा लागू आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण एवं शासनादेश संख्या 124/XXX(2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22 मई 2020 के अनुसार पद आधारित रोस्टर नीति के प्राविधान के अनुसार उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग देहरादून के अन्तर्गत **आँगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाईजर** के वर्ष 2020-21 (1 जुलाई, 2020) में रिक्त सुपरवाईजर के **110 पदों** पर भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली **उत्तराखण्ड में कार्यरत आँगनवाड़ी कार्यकर्तियों से आवेदन पत्र** आमंत्रित किये जाते हैं।

01 पदनाम - सुपरवाईजर (समूह 'ग')
02 वेतनमान :- रू० 29200-92300, लेवल- 05
03 रिक्त पदों की संख्या :- 110
04 सीधीभर्ती हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का आरक्षित श्रेणीवार विवरणः-

पदनाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	योग
सुपरवाईजर	22	3	22	11	52	110

नोटः- शासनादेश के अनुसार सभी श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

01 **आयुः-** आंगनबाड़ी कायकर्ती की आयु भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस(दिनांक 01 जुलाई 2020) को **45 वर्ष से अधिक न** हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।

02 **अनिवार्य अर्हताः-** आवेदन करने हेतु वर्तमान में कार्यरत ऐसी आंगनबाड़ी कायकर्ती ही अर्ह होगीं, जिन्होनें भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस (दिनांक 01 जुलाई 2020) को आंगनबाड़ी कायकर्ती के मानदेय पद **पर 10 वर्ष की** अभिलेखों के आधार पर निरन्तर मानदेय सेवा पूर्ण कर ली हो, तथा सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को 10 वर्ष अथवा अधिक अवधि की निरन्तर मानदेय सेवा पूर्ण करने का जारी अनुभव प्रमाण-पत्र पर सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा, तथा उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

03 **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताः-** मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

Scanned with CamScanner

निदेशालय
आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुद्धोवाला निकट नंदा की चौकी, चकराता रोड, देहरादून ।
दूरभाष नं0 0135-2775813, 14 , ई0मेलः dir.icds.ua@g mail.com

- **आवेदन कैसे करें :-** विज्ञप्ति में प्रकाशित आवेदन पत्र के प्रारूप पर अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किये जायेगें। आवेदन निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरकर वांछित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित **अभ्यर्थी द्वारा पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक से निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड,देहरादून चकराता रोड़ पो० चन्दनवाडी, सुद्धोवाला देहरादून में दिनांक 12 अगस्त 2020 की सांय 05.00 बजे** तक स्वीकार्य किये जायेगें। व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराये गये आवदेन पत्र मान्य नहीं होगें। अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रेषित किए जाने वाले लिफाफे के ऊपरी भाग में मोटे अक्षरों में **आंगनबाड़ी कार्यकत्री से सुपरवाईजर के पद पर भर्ती** अवश्य अंकित किया जाये। बिना हस्ताक्षर किये प्रेषित आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे, तथा उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- हाईस्कूल या समकक्ष तथा उससे उच्च प्रत्येक परीक्षा के प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
- सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई निवास/ मूल निवास का प्रमाण पत्र।
- आरक्षित वर्ग (अनु०जा०/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) एवं क्षैतिज आरक्षण (भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग जन,उत्तरखण्ड के अनाथ बच्चे, स्वतन्त्रता संग्राम सैनिक के आश्रित) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण/ सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
- सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी से हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप पर जारी दिनांक 01 जुलाई 2020 को 10 वर्ष या उससे अधिक की निरन्तर मानदेय सेवा पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

04 **चयन प्रक्रिया-** आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाईजर के पद पर चयन हेतु जारी शासनादेशों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से चयन प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।

(क) प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा के लिए 10 अंक तथा उसके पश्चात सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 01 अंक दिये जायेगें।

(ख) प्रत्येक अभ्यर्थी की योग्यतानुसार हाईस्कूल तथा उससे उच्च परीक्षा में प्रथम श्रेणी के लिए 3 अंक, द्वितीय श्रेणी के लिए 2 अंक एवं तृतीय श्रेणी के लिए 1 अंक पृथक से दिये जायेगें।

नोटः-

01 रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

02 उपरोक्त विज्ञप्ति के क्रम में निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनबाडी कार्यकर्ती निर्धारित समयान्तर्गत यदि आवेदन नहीं करती हैं, तो बाद में उनका कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

03 यदि समिति के समक्ष यह प्रकाश में आता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं, तो उनका आवेदन समिति द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

04 आरक्षण, स्थाई निवास, अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका, नियुक्ति आदेश, बाल विकास परियोजना अधिकारी का अग्रसारण प्रमाण पत्र एवं अन्य सम्बन्धी वांछित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न कर भेजे जायें।

Scanned with CamScanner

निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुद्दोवाला निकट नंदा की चौकी, चकराता रोड, देहरादून ।
दूरभाष नं० **0135-2775813, 14** , ई०मेलः **dir.icds.ua@g mail.com**

05 आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि के पश्चात पृथक से कोई प्रमाण पत्र/प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं होंगें।

06 सुपरवाईजर का पद राज्य स्तरीय पद है, तथा इनकी सेवायें सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में स्थानान्तरणीय है।

07 आवेदन पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के प्रारूप (1 से 3 तक) विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं।

08 उक्त प्रारूप विभागीय वैबसाइट https://wecd.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(डा. वी. षणमुगम)
निदेशक
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

Scanned with CamScanner

निदेशालय
आई०सी०डी०एस० उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुद्धोवाला निकट नंदा की चौकी, चकराता रोड, देहरादून ।
दूरभाष नं० 0135-2775813, 14 , ई०मेलः dir.icds.ua@g mail.com

प्रारूप–1

संख्या C-480 /आ०बा०से सुप०भर्ती/2020-21, दिनांक 10 जुलाई ,2020

आवेदन पत्र का प्रारूप

आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाईजर के पद पर भर्ती वर्ष 2020-21
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड)

पदनामः सुपरवाईजर,
जनपद......................

स्व प्रमाणित फोटो चिपकाऐं

1- नाम(स्पष्ट रूप से लिखें)..
2- माता का नाम...
3- पिता/पति का नाम..
4- जन्मतिथि.......दिनांक 01-07-2020 को आयु.........वर्ष........माह......दिन......
(आयु का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5- धर्म..
6- यदि आरक्षित श्रेणी में की है तो आरक्षित श्रेणी का नाम .... तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7- क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में आते हैं :- हां अथवा नहीं।
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
8- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई निवास/मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
9- शैक्षिक योग्यता का विवरण (समस्त अंक सूची तथा प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।)

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि०वि० का नाम	वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णाक	प्रतिशत	श्रेणी
1	हाईस्कूल					
2	इण्टरमीडिएट					
3	स्नातक					
4	स्नातकोत्तर					

10- वर्तमान में कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम..
11- बाल विकास परियोजना का नाम......................................
12- आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर तैनाती की तिथि, दिनांक..........माह........वर्ष.....
13- आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर कार्यावधि(दिनांक 01 जुलाई 2020 को)वर्ष.....माह......... दिन............(कार्यवधि न्यूनतम 10 वर्ष होनी आवश्यक है तथा इस हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी एवं सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)
14- स्थाई पता...
....
15- पत्र व्यवहार का पता...........................
....
16- संलग्नकों का विवरण :-
(निम्न अभिलेखों की स्व प्रमाणित पठनीय सत्यापित प्रतियां अवश्य संलग्न करें)

Scanned with CamScanner

निदेशालय
आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुद्धोवाला निकट नंदा की चौकी, चकराता रोड, देहरादून ।
दूरभाष नं0 0135-2775813, 14 , ई0मेलः dir.icds.ua@g mail.com

- मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल या समकक्ष तथा उससे उच्च प्रत्येक परीक्षा के प्रमाण पत्र तथा अंक तालिका।
- आरक्षित वर्ग (अनु०जा०/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) एवं क्षैतिज आरक्षण (भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग जन,उत्तरखण्ड के अनाथ बच्चे, स्वतन्त्रता संग्राम सैनिक के आश्रित) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण/ सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
- स्थाई/ मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
- सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी एवं सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दिनांक 01 जुलाई 2020 को 10 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि की निरन्तर मानदेय सेवा पूण करने का प्रमाण पत्र।

घोषणा

मैं कुमारी/श्रीमती..........................पुत्री/पत्नी.................. आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आंगनबाड़ी केन्द्र.......................बाल विकास परियोजना................... जनपद .... एतद्द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त दी गई सूचना तथा तथ्य एवं प्रमाण पत्र सत्य हैं। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य एवं सूचनायें छुपाई नहीं गई हैं। यदि मेरे द्वारा दिये गये कोई तथ्य/सूचनायें असत्य पाई जाती है। तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाये तथा भविष्य में अथवा नियुक्ति पाने के पश्चात कोई तथ्य/सूचनायें/प्रमाण पत्र गलत एवं असत्य पाये जाते हैं तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जायें। इस सम्बन्ध में मेरा कोई भी दावा स्वीकार/मान्य नहीं होगा तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर दी जाये।

दिनांक — हस्ताक्षर ....
स्थान — अभ्यर्थी का नाम...................

(हस्ताक्षर न होने की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा)

प्रारूप–2

सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी का अग्रसारण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों का मिलान आवेदिका के मूल अभिलेखों से कर लिया गया है तथा उसके अनुसार आवेदन पत्र में प्रविष्टि की गई है। प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर आवेदन का अग्रसारण किया जा रहा है।

दिनांक..............

हस्ताक्षर..................................
नाम......................................
बाल विकास परियोजना अधिकारी
............./जनपद.........................
(मोहर सहित)

(अग्रसारण प्रमाण पत्र न होने/मोहर न होने की दशा में आवेदन निरस्त समझा जायेगा।

Scanned with CamScanner

निदेशालय
आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुद्वौवाला निकट नंदा की चौकी, चकराता रोड, देहरादून ।
दूरभाष नं0 0135-2775813, 14 , ई0मेलः dir.icds.ua@g mail.com

उत्तराखण्ड

प्रारूप–3

अनुभव प्रमाण पत्र

01 जुलाई 2020 को 10 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि की निरन्तर मानदेय सेवा पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री/श्रीमती.. पिता/पत्नी...............को बाल विकास परियोजना कार्यालय के आदेश संख्या............ दिनांक............. द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर आंगनबाड़ी केन्द्र.................. .... (केन्द्र का पूर्ण पता) बाल विकास परियोजना .... जनपद...................में नियुक्त किया गया था, इनके द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2020 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर.....वर्ष......माह ....दिन की निरन्तर मानदेय सेवा अवधि पूर्ण कर ली गयी है। सुश्री/श्रीमती .... वर्तमान में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय पद पर कार्यरत है।

जारीकर्ता
बाल विकास परियोजना अधिकारी
हस्ताक्षर सील/दिनांक सहित
मोहर सहित

प्रतिहस्ताक्षरित
जिला कार्यक्रम अधिकारी
हस्ताक्षर सील/दिनांक सहित
मोहर सहित

Scanned with CamScanner

निदेशालय
आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग)
सुद्दोवाला निकट नंदा की चौकी, चकराता रोड, देहरादून ।
दूरभाष नं0 0135-2775813, 14 , ई0मेलः dir.icds.ua@g mail.com

प्रेषक,

निदेशक,
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्रांक C-480/सु०स्था०/2019-20, दिनांक 10 जुलाई 2020

विषयः- आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाईजर के पद पर चयन हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है, कि उक्त विज्ञप्ति को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में सर्वाधिक पाठक/प्रसार संख्या वाले तीन समाचार पत्रों यथा-अमर उजाला,दैनिक जागरण तथा दैनिक हिन्दुस्तान में डी.ए.वी.पी. दरों पर दिनांकः 11 जुलाई 2020 के अंक में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें, तथा बिल भुगतान हेतु दो-दो प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रमाणित कर उपलव्ध करवाने का कष्ट करें।

संलग्नः- यथोपरि।

भवदीय,

(डा०वी०षणमुगम)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः- सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

Scanned with CamScanner